



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण करने वाले 04 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 57,000/-रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना जरिया में पंजीकृत मु०अ०सं०- 105/2017 धारा-363,366,354,506 भा०द०सं०, 8 पॉक्सो एक्ट व 16/17 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त 1.सुनील को धारा-363,366,354,506 भा०द०सं० व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 05 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000/-रुपये तथा अभि०गण 2.वीरेन्द्र 3.देवेन्द्र 4.पवन नि०गण त्योंतना थाना जरिया हमीरपुर को धारा-363,366,506 भा०द०सं० व 17 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुये प्रत्येक को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास व 13,000-13,000/-रुपये के अर्थदण्ड अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
उ०नि० रावेन्द्र
कुमार



पैरोकार
थाना - जरिया
हे०का० विद्यासागर